न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 47/2022
दायर दिनांक : 22/09/2022
निर्णय दिनांक : 18/12/2025

उनवान

1 मु0 अणछाई पिता छोगा पत्नि रामलाल गाडरी निवारी बूल का खेडा, चोरवडी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. मु0 पुष्पाबाई पिता छोगा पत्नि लालूराम गाडरी निवासी बूल का खेडा
2. मु0 उंकारी पिता गोपीलाल पत्नि हरजी गाडरी –मृतक के बजायं
   1. मु0 सायरी पिता हरजी गाडरी निवासी कांकरवा
3 मु0 चुन्नीबाई पिता गोपी पत्नि कालु निवासी बबराणा
4 मु0 देउबाई पत्नि गेहरू गाडरी निवासी बूल का खेडा
5 मु0 फैफीबाई पिता गोपीलाल पत्नि गंगाराम निवासी सूरताखेडा
6 मु0 रतनी पिता गैरूलाल गाडरी निवासी बूल का खेडा

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1.श्री ललित कुंवार झंवर, अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री रामलाल गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। ग्राम टाण्डा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 47 48 49 50 51 58 एवं 59 कुल किता 7 कुल रकबा 1.36 है0 आराजियात है जिसमें विपक्षी संख्या 1 मु0 पुष्पाबाई का 1/8 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि उक्त का आराजियात में कोई हक अधिकार एवं कब्जा नही है। चुकि विपक्षी संख्या 1 ने उनका कुल हक व अधिकार मुझ प्रार्थिया के हक में जरिए पंजीकृत हक तर्कनामें से दिनांक 08.03.2004 को हस्तांतरित कर दिया है व हक तर्कनाम लिखा पंजीयन करा दिया है तब से उक्त आराजियात में मु0 पुष्पाबाई का कोई हक व अधिकार नही है एवं पुष्पा व पुष्पा के हक व हिस्से की मे प्रार्थिया अधिकारी होने से पु0 पुष्पाबाई का हिस्सा मुझ प्रार्थिया के नाम पर अंकित किया जाना चाहिए था। कालम 2 में वर्णित आराजियात का सजरा खानदान इस प्रकार है कि लखमा(फौत) – 1. छोगालाल(फौत) – अणछीबाई, पुष्पाबाई, 2. गोपीलाल(फौत) – गेहरू(फौत) – मु0 देउ, मु0 रतनी, चुन्नी, फैफी, उकारी(फौत)– मु0 सायरी । उक्त आराजियात में मृतक छोगा का 1/2 हिस्सा व मृतक गोपी का 1/2 हिस्सा था जिससे छोगा के 1/2 हिस्से की अधिकारीणी मु0 अणछाई प्रार्थिया है जिससे प्रार्थिया यह घोषित कराने की अधिकारीणी है कि कालम 2 में वर्णित कुल आराजियात के 1/2 हिससे की खातेदार काश्तकार प्रार्थिया है व बकाया 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 है मगर राजस्व रेकार्ड में गलती से मुझ प्रार्थिया का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही अंकित किया है व सभी विपक्षीगण का भी 1/8 1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया है। जो गलत होकर दुरूस्ती योगय है जिससे प्रार्थीया यह धोषणा कराने की अधिकारीणी है कि कालम 2 में वर्णित आराजियात में प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा है व बकाया विपक्षी संख्या 2 लगायत 7 तक सिर्फ 1/2 हिस्सा ही है व विपक्षी संख्या 1 का उक्त आराजियात में कोई हक व अधिकार नही होने से राजस्व रेकार्ड में उसका नाम हटाया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण इस गलत राजस्व इंद्राज का नाजायज फायदा उठा उक्त आराजियात को हस्तांतरित करने व मुझ प्रार्थिया के कब्जे में हस्तक्षेप पर आमादा है जिससे विपक्षीगणों को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि कालम 2 [illegible] भी हिस्से को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नही करे व मुझ प्रार्थिया के 1/2 हिस[illegible] भी प्रकार की दखलदांजी नही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.07 18:26:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से की ओर से वकील श्री रामलाल गुर्जर ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 2 में वर्णित आराजियात व रेकार्डेड होना स्वीकार है बाकी तथ्य गलत होने से अस्वीकार है क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 पुष्पा ने उसकी मां चंपाबाई के हिस्से की आराजियात कय की है इसके बाद नामांतरण से अ0स0 1 पुष्पा का नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ है जो सही है व काबिज होकर काश्त कर रही है। कालम 3, 4, 5, 6 गलत होने से अस्वीकार है। शेष अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 6 व 7 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 का नाम हटाने का नाम निवेदन करने नाम डिलीट किया गया। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार, भूपालसागर उपस्थित। पैरोकार सरकार ने वादवर्णित तथ्यों से राजपक्ष प्रभावित नहीं होना अवगत कराया।

वकील प्रार्थी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाने से अस्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.01.07 18:26:02 IST
Reason: SelfAttested